2. राज्य शासन के उक्त निर्णय के अनुसरण में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) के बायलॉज में आवश्यक संशोधन कर श्री कन्हैया अग्रवाल (कवर्धा) एवं श्री विजय साहू (दुर्ग) के क्रेडा के सदस्य पद पर नियुक्ति बाबत् क्रेडा द्वारा कार्यवाही किया जावे.

3. आदेश के उपर्युक्त पैरा-2 के अनुसरण में संशोधित बॉयलॉज, श्री कन्हैया अग्रवाल (कवर्धा) एवं श्री विजय साहू (दुर्ग) की नियुक्ति हेतु क्रेडा की गवर्निंग बॉडी द्वारा पारित संकल्प की प्रति तथा नियुक्त सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना इस विभाग को उपलब्ध कराई जावे.

4. क्रेडा में नियुक्त उपरोक्त सदस्यों का वेतन, दैनिक भत्ता एवं अन्य देय सुविधायें, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के मंडल/आयोग/निगम के अध्यक्ष/सदस्यों को देय सुविधाओं के संबंध में जारी वित्त निर्देश अनुसार प्रशासित रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, विशेष सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 4-1/2020/30/सं..—राज्य शासन एतद्द्वारा अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता योजना नियम, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में—

1. नियम 2 के उपनियम (दो) में विनिर्दिष्ट मासिक आय की सीमा को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :—

(1)	परिवार के अकेले सदस्य के लिए	रु. 72000/- वार्षिक
(2)	परिवार के दो सदस्यों के लिए	रु. 1,44,000/- वार्षिक
(3)	परिवार के तीन या तीन से अधिक सदस्यों के लिए	रु. 2,16,000/- वार्षिक

2. ये संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 4-02/2021/30/सं.—

देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार

प्रस्तावना :— मन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं —

1. **संक्षिप्त नाम :—**
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार नियम" है.

   (2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.